गरीब व मध्यम वर्ग को बिजली के बिल में राहत मिलेगी

जयपुर (कासं)। राजस्थान में बिजली दरें और फिक्स चार्ज कम किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट तक के उपयोग पर एनर्जी और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है, 50 यूनिट तक बिजली दर 4.75 रु प्रति यूनिट होगी। वहीं 150 यूनिट तक के उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज 250 से घटाकर 150 रुपए किया है। बिजली दरें 6.50 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए यूनिट की गई है।

वहीं दूसरी ओर 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाया है, लेकिन दरें कम की है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों को मंजूरी दी है। आयोग ने 2025-26 के लिए टैरिफ मंजूरी के आदेश जारी कर दिए है।

50 केवीए से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पर भी फिक्स्ड चार्ज 275 रु. से बढ़ाकर किया 300 रु. प्रति प्रति मासिक बिल किया गया है। हालांकि बिजली दर 7.15 रु.से घटाकर 6.50 रु. प्रति यूनिट की है।

मीडियम इंडस्ट्री एलटी-6 कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 130 प्रति एचपी से बढ़ाकर 150 रुपए किया, हालांकि दरें 7 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.50 रुपए की गई।

मीडियम इंडस्ट्री एचटी-3 का फिक्स चार्ज 255 प्रति केवीए हर महीने से बढ़ाकर 275 रुपए किया। दरें 7 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.50 रुपए प्रति यूनिट की गई।

एलटी-7 में फिक्स चार्ज 115 रुपए प्रति एचपी से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति एचपी किया। दर 8.05 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 7.50 रुपए प्रति यूनिट की। एचटी-4 में फिक्स चार्ज 240 केवीए से बढ़ाकर 300 रुपए किया। दर 8.05 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 7.50 रुपए प्रति यूनिट की।

बड़े उद्योगों के लिए अब फिक्स चार्ज 300 रुपए प्रति केवीए से बढ़ाकर 380 प्रति केवीए किया है। अब दो तरह की दरों की जगह 6.50 रुपए प्रति यूनिट का चार्ज लगेगा। पहले 150 एचपी तक 7.30 प्रति यूनिट और 1 एमवीए पर 6.30 रुपए प्रति यूनिट दरें वसूली जाती थीं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली दरों और फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है।

पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा को ऐसे विकसित करें, जिससे आगंतुकों का मन प्रसन्न हो जाए : दीया कुमारी

उपमुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर तथा सरोवर परिक्रमा मार्ग की डीपीआर अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग का इस प्रकार विकास किया जाए कि पुष्कर आगतुकों का मन प्रसन्न हो जाए और उन्हें यहां शांति का अनुभव कर सके। उन्होंने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग की डीपीआर अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के दिए निर्देश भी दिए।

उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के समक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़, अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता अरुण वर्मा, पुष्कर नगर परिषद आयुक्त, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी की उपस्थिति में सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य के बजट 2024-25 के अंतर्गत पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग की अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी डीपीआर का प्रस्तुतीकरण के दौरान उक्त निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री को इससे पूर्व पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग की डीपीआर के प्रस्तुतिकरण में 2011 में बने 2031 के मास्टर प्लान के आधार पर भूमि चिन्हिकरण के अनुसार ब्रम्हा मंदिर कोरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग का विकास किये जाने की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

प्रस्तुतिकरण के दौरान पुष्कर के प्रमुख आकर्षण क्या होंगे और कैसे होंगे इस पर विस्तार से चर्चा की गई।परिक्रमा से घाट जाने के मार्ग को सुधारने, पुष्कर की सडकों का विकास करने, आधुनिक सुविधाओं का विकास करने, अच्छे फुटपाथ और शेड विकसित करने, घाटों का कैसे विकास करने जिसमें प्रत्येक घाट का महत्व प्रदर्शित करने, प्रवेश द्वार से पहले ही पार्किंग उसके आगे मोबेलिटी के लिए ट्राम जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने, बस जंक्शन विकसित करने, गौशाला और पौराणिक म्यूजियम विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।

उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को बैठक लेकर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और पुष्कर-अजमेर के ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग के विकास पर चर्चा की।

ए.टी.एस. ने प्लंबर बनकर भर्ती परीक्षा घोटाले में फरार 2 बदमाशों को दबोचा

आरोपी जागेन्द्र सिंह और परमजीत सिंह पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस)और एनटीएफ ने भर्ती परीक्षा घोटाले में फरार चल रहे 25-25 हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपित जोगेंद्र सिंह निवासी पिलानी जिला झुंझुनू और परमजीत सिंह निवासी हरियाणा हाईटेक नकल गिरोह के सरगना बताए जा रहे हैं। फिलहाल एटीएस की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

- **पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपित पेशे से इंजीनियर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के बाद नकल कराने का धंधा शुरू किया।**

एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन एब्स विक्टर और ऑपरेशन जॉली के तहत हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर-37 के एक फ्लैट में दबिश दी गई। जहां प्लंबर बनकर पहुंचे एटीएस जवानों ने जोगेंद्र सिंह और परमजीत सिंह को मौके पर गिरफ्तार किया। उस समय आरोपित महाकाल मंदिर से दर्शन कर लौटे ही थे।

जांच में सामने आया कि दोनों आरोपित पेशे से इंजीनियर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के बाद नकल कराने का धंधा शुरू किया।

भर्ती परीक्षा घोटाले में फरार 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को ए.टी.एस. टीम ने गिरफ्तार किया।

जनवरी में जयपुर में हुई नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर रिमोट से हैक कर पेपर सॉल्व कराने की साजिश इन्होंने रची थी। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। आरोपित दिल्ली और जयपुर में लैब संचालित कर चुके हैं और कई ऑनलाइन परीक्षाओं में धांधली की। कोचिंग संचालकों के जरिए अभ्यर्थियों से 1.5 से 8 लाख रुपये तक वसूले जाते थे। पूछताछ में दर्जनों परीक्षाओं में फर्जी पास कराने का खुलासा हुआ है।

एटीएस आईजी ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले नौ महीने से फरार थे। कभी तीन दिन से ज्यादा एक जगह नहीं ठहरे और मोबाइल नदी में फेंक कर राहगीरों के फोन से ही संपर्क करते थे। आखिरकार इनकी महिला मित्र के जरिए सुराग मिला और दस दिन की निगरानी के बाद गिरफ्तारी हुई। एटीएस ने खुलासा किया कि गिरोह ने टाटा, एप्टेक, सीडैक, एनएसईआईटी और जिंजर जैसी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर लैब किराए पर दीं और वहीं से परीक्षाओं में नकल कराई जाती थी।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कोर्ट ने विदेश जाने की मंजूरी दी

जयपुर (कासं)। जिले की एडीजे कोर्ट-4 ने गोपालगढ हिंसा प्रकरण में आरोपी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को राजकार्य के लिए 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक डेनमार्क जाने की सशर्त मंजूरी दे दी है। पीठासीन अधिकारी विद्यानंद शुक्ला ने कहा कि विदेश जाने से पहले वे यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करेंगे और विदेश यात्रा खत्म होने के बाद वापस आने पर कोर्ट को सूचित करेंगे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/770
चूंकि प्रार्थी श्री JYOTSANA MATHUR, 4/5 S F S, MANSAROVER, AGARWAL FARM, JAIPUR-302020 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शिल्पायन प्रशिक्षण संस्था, जयपुर 4/5 S F S, MANSAROVER, AGARWAL FARM, JAIPUR-302020 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता हैं कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/782
चूंकि प्रार्थी श्री KAUSHAL JAIN C-3 SIKAR HOUSE OUT SIDE CHANDPOLE GATE JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास बैजनाथ प्रसाद परमार्थ ट्रस्ट C-3, SIKAR HOUSE JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता हैं कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/603
चूंकि प्रार्थी श्री DIGRAJ SINGH SHEKHAWAT, 07 SED KA BAS SHAHPURA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास युवराज दिलराज सिंह शाहपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट 07 SED KA BAS SHAHPURA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता हैं कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/685
चूंकि प्रार्थी श्री GURCHARAN SINGH GULYANI 4 MA I JAWAHAR NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास गुरूद्वारा श्री गुरूनानक दरबार ट्रस्ट Pradhan Guru Nanak Darbar, Jawahar Nagar, Mama Ka Hotal Ke Pss, Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता हैं कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/710
चूंकि प्रार्थी श्री MADAN CHOUDHARY, 18 PAYAL VIHAR COLONY SIRSI RCL FACTORY KE PASS MEENAWALA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास निवाला संस्थान 180,181 KANCHAN VIHAR NEAR SHIV SHAKTI BENAD ROAD BENADA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता हैं कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/724
चूंकि प्रार्थी श्री BANSHI LAL, HARSAULI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास प्रयास केन्द्र संस्था, हरसोली GRAM POST HARSOLI, PANCHAYAT SAMITI DUDU, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/725
चूंकि प्रार्थी श्री SEEMA MISHRA 29, GANGA COLONY KHATIPURA ROAD JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सीमा मिश्रा राजस्थान लोक संगीत कला एकेडमी 29, GANGA COLONY NEAR SADHANA HOSPITAL KHATIPURA ROAD JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/715
चूंकि प्रार्थी श्री AJAY DIWAKAR AGAWAL D 55, JYOTI MARG, BAPU NAGAR, LAL KOTHI, GANDHI NAGAR, JAIPUR, RAJSTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास दी लक्ष्मीनारायण चेरिटेबल सोसायटी फॉर एजुकेशन रिर्सच एण्ड डवलपमेंट B I GANGWAL PARK OPP. PILWA GARDEN, MOTI DUNGREE ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.12.2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मान विहार विस्तार प्लाट नं 50 का आंवटन पत्र श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री एल.सी गुप्ता के पक्ष में दिनांक 04.08.1997 को रसीद सं 39966 जारी किया गया। इसके पश्चात उक्त प्लाट का बैचान रामपाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा को कर दिया। रामपाल शर्मा से आनंदीलाल माली पुत्र मूलचन्द व कैलाशचन्द माली पुत्र रामफूल माली को तथा आंनदीलाल से रामकल्याण पुत्र गोरू जाट व कैलाशचन्द माली से उगन्ता देवी पत्नी मदनलाल जाट को कर दिया गया। उक्त प्लाट के मूल दस्तावेज मेरे अभिभाष्य उगन्ता देवी व रामकल्याण से गुम हो गये। जिसकी गुमशुदगी दिनांक 05.05.2024 को पुलिस थाना मालपुरा गेट में दर्ज करा दी एवं उक्त प्लाट की खोया-पाया में दिनांक 12.05.2024 को अखबार दैनिक भास्कर मे प्रकाशित करवाई थी उक्त दस्तावेजों के लिए आम सूचना प्रकाशित करवाई जा रही है। अगर किसी को मिलते है तो सात दिवस में मेरे अभिभाष्य को लौटाए व किसी को कोई आपति हो तो मेरे अभिभाष्य के मो. नं 9829966701 पर सम्पर्क करें।
भवदीय- संदीप कुमार मीणा एडवोकेट मो. 9782094531

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम रूकमणी कुमावत था, जिसे बदलकर बसंती प्रजापत पत्नी श्री गिर्राज कुमावत निवासी 31 शिकारियों की मोरी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार जयपुर। जबकि मेरी पुत्री कनिष्का कुमावत के दस्तावेजों में मेरा नाम रूकमणी कुमावत रह गया है। मुझे अब बसंती प्रजापत के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम हरकीरत से बदलकर हरकीरत कौर पुत्री जसविंदर सिंह रख लिया है अतः भविष्य में मुझे "हरकीरत कौर" के नाम से ही जाना जाए। पता जी-2-120, नंद विहार एयरपोर्ट टर्मिनल-2 के पास, गेटोर, जगतपुरा, जयपुर-302017

सर्विस नंबर JC 465666A नायब सूबेदार बजरंग सिंह यूनिट 25 ग्रेनेडियर्स पुत्र गणपत सिंह निवासी ग्राम रायमलवाडा, रायमलवाडा तहसील औसियां जिला जोधपुर कि मेरे सेना अभिलेख में मेरी पत्नी का नाम भूलवंश कम्मू कंवर दर्ज हो गया है, जो गलत है। मेरी पत्नी का सही नाम कमू कंवर है।

मैं सपना चोधरी पत्नी सेवा नं. 15422789L हवलदार दौलतराम निवासी एन-53, अम्बेडकर नगर अलवर, पुलिस थाना एन.ई.बी. अलवर जिला अलवर राजस्थान नाम परिवर्तन कर सपना चौधरी से सपना देवी एफिडेविट संख्या CA769777, 05343 दिनांक 03 अक्टूबर 2025 जिला सत्र न्यायालय पब्लिक नोटेरी जयपुर राजस्थान में दर्ज किया गया है।

I have changed my name from Manish Jain to Manish Kumar Jain S/o Mohit Kumar Jain for all purpose. Resi.: E-704, SDC Green Park, Janta Colony, Jaipur.

क्रमांक-101 दिनांक-03.10.2025
विज्ञप्ति सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या मित्र गृह निर्माण सहकारी समति लि. जयपुर की योजना दौलत नगर खोनागोरियान जयपुर के प्लाट संख्या 21 क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज एवं प्लाट संख्या 22 क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज समिति से मोहम्मद शोयब पुत्र श्री शरफुद्दीन एवं शबनम पत्नी श्री नदीम ने गलत दस्तावेजों के आधार पर पट्टा हस्तान्तरण करवाया था। समिति की जानकारी में आने के बाद उक्त दोनों प्लाटों के पट्टा को समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कोई व्यक्ति उपरोक्त प्लाटों के संबंध में कोई समव्यवहार करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें समिति का कोई लेना देना नहीं होगा। सूचित रहे।
धीर सिंह राजपूत, एडवोकेट, मो.नं. 9460060815

खोया पाया
मेरे प्लाट नं. 89-ए, खुंदाबादी सोनार कॉपरेटिव सोसायटी योजना बी.एल. सिटी आगरा रोड जयपुर को ओरिजनल सोसायटी पट्टा कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। चारू शर्मा-9828011128

कार्यालय उपायुक्त, आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(जवाहर नगर सेक्टर नं 4, एम.पी.एस स्कूल के पास, जयपुर)
क्रमांकः- F54/A.N.Z./Dy Comm./ / सामान्य शाखा/ 2025/612
सार्वजनिक सूचना दि.03.10.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लाला हरिचरण पुत्र श्री मोहन लाल भूखण्ड संख्या 101, सुत्तर खाना कच्ची बस्ती जयपुर के द्वारा नगर निगम जयपुर द्वारा जारी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, साईट प्लान, नजराना रसीद, निर्धारित वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) आदि अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपने भूखण्ड संख्या 101, सुत्तर खाना कच्ची बस्ती जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 50.00 वर्गगज का पटटा चाहने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति मय सबूत के प्रस्तुत करे। मियाद बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाकर पटटा जारी करने से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। सूचित रहे।
राजेन्द्र कुमार द्वितीय (R.A.S.)
उपायुक्त
आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांकः जविप्रा/उपा/जोन-12/2025/डी-5742 दिनांकः 1.10.2025
आम सूचना
जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल वर्ग मीटर	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम
1	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री भगुता	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री भगुता	1061	90.00	जविप्रा	आनन्द विहार

सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया- लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड
कर्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज- आवेदक द्वारा अपलोड जविप्रा से जारी पट्टा, साईट प्लान, स्टाम्प पेपर की छायाप्रतियां, गुमशुदगी व खोया पाया के आधार पर।
आवेदक द्वारा उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड का लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार भूखण्ड का लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी। उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांकः ज.स.अ / 2025 / 235 दिनांक : 01.10.2025
आम सूचना
नगर निगम ग्रेटर जयपुर में स्थित विभिन्न निजी दुकानों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों / मॉल / शोरूम / होटल-रेस्टोरेन्ट / केफे / पार्लर / सिनेमाघर / शैक्षणिक-संस्थान / कोचिंग / अस्पताल / पेट्रोल पम्प / बैंक इत्यादि द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए विज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे निगम को राजस्व की हानि हो रही है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 एवं संशोधित 2008 के प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे पट्ट, प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पट्ट, विद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम), वालपेन्टिंग, चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिग्स आदि से है जो किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान / दुकान / व्यावसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकाश, चल वाहन / वस्तुओं अन्य इत्यादी पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करनें के लिए प्रयुक्त हो जो किसी फर्म / एजेन्सी / व्यक्ति / संस्था / उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करनें से है। बिना विज्ञापन शुल्क जमा कराये एवं बिना निगम से लाईसेंस प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति / संस्था / फर्म / व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने भवनों पर जोन सीमा क्षेत्र मे विज्ञापन का प्रदर्शन नही कर सकेगें। ऐसा करते हुए पाये जानें पर ऐसे व्यक्तियों / संस्थाओं के विरूद्ध नगर निगम जयपुर ग्रेटर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं संशोधित 2008, तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही किए जानें का प्रावधान है।
अतः जरिये आम सूचना समस्त आम एवं खास को यह सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षैत्र में बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए एवं बिना शुल्क जमा कराये यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ है तो ऐसे अनाधिकृत विज्ञापन को तुरन्त प्रभाव से 07 दिवस के अन्दर हटा लेवें। यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना है तो विज्ञापन प्रदर्शन से पूर्व नियमानुसार नगर निगम ग्रेटर जयपुर से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर एवं निर्धारित शुल्क जमा कराया जाकर ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जावे अन्यथा ऐसा करते हुए पाये जानें पर ऐसे व्यक्ति / संस्था के विरूद्ध नगर निगम ग्रेटर जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004, एवं संशोधित 2008 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा किए गए विज्ञापन प्रदर्शन को हटाया जाकर हर्जा-खर्चा संबंधित से वसूल किया जायेगा।
सूचित रहे।
राज.संवाद / सी / 25 / 11362 आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर

कार्यालय नगर पालिका किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा) राज.
E-mail: npkishaoearbbas@gmail.com Ph. 01460-242233
क्रमांक-न.पा.कि.बास/2025/2661 दिनांक-03.10.2025
आपत्ति सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 69-क के एक्ट के तहत ऑनलाईन पट्टा बनवाने हेतु निम्न प्रकार ऑनलाईन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अत इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति संस्था या किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में अपनी आपत्ति मय सबूत इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मयाद निकलने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/ पत्नी का नाम	पता	खसरा नं.
1	पूजा	विपिन	वार्ड नं. 03 वाल्मिकी मौहल्ला कि बास	315
2	शादीराम	किशनलाल	वार्ड नं. 23 गरीबनाथ मंदिर के पास कि बास	508
3	विजय लक्ष्मी	भागचंद	वार्ड नं. 24 अहीरवाटी मोहल्ला कि बास	535
4	अब्दुल रज्जाक	अलीसेर	वार्ड नं. 11 सब्जी मंडी के पास कि बास	535
5	सतीश कुमार	ओमप्रकाश	वार्ड नं. 11 कुम्हारवाटी मौहल्ला कि बास	535
6	सरोज देवी	रामसिंह	वार्ड नं. 24 अहीरवाटी मौहल्ला कि बास	535
7	निहाल सिंह, अतर सिंह, सतीश	छूट्टन लाल घमण्डीलाल, घमण्डीलाल	वार्ड नं. 24 अहीरवाटी मौहल्ला कि बास	535
8	निहाल सिंह, अतर सिंह, सतीश	छूट्टन लाल घमण्डीलाल, घमण्डीलाल	वार्ड नं. 24 अहीरवाटी मौहल्ला कि बास	535
9	लालचंद तुला राम	सोहन लाल भगवान सहाय	वार्ड नं. 24 अहीरवाटी मौहल्ला कि बास	535
10	श्यामलाल	लल्लूराम खटीक	वार्ड नं. 16 खटीक मौहल्ला गंज कि बास	141
11	अजयपाल	श्योदान	वार्ड नं. 24 अहीरवाटी मौहल्ला कि बास	535
12	हेमन्त कुमार	शिवचरण	वार्ड नं. 10 सराय मौहल्ला कि बास	535
13	हेमन्त कुमार	शिवचरण	वार्ड नं. 10 सराय मौहल्ला कि बास	535
14	हेमन्त कुमार	शिवचरण	वार्ड नं. 10 सराय मौहल्ला कि बास	535
15	परमजीत	मन्छू सिंह	वार्ड नं. 08 किले के पास कि बास	535
16	हरीश राज	मूलचन्द	वार्ड नं. 07 अहमदबास मौहल्ला कि बास	535
17	प्रशान्त	मूलचन्द	वार्ड नं. 07 अहमदबास मौहल्ला कि बास	535
18	लक्ष्मी देवी	मूलचन्द	वार्ड नं. 07 अहमदबास मौहल्ला कि बास	535
19	सुनिता	मेहनदास	वार्ड नं. 07 अहमदबास मौहल्ला कि बास	535
20	मुकेश कुमार	द्वारिकाप्रसाद शर्मा	वार्ड नं.09 खुराना चौक कि बास	
21	महेश कुमार	द्वारिकाप्रसाद शर्मा	वार्ड नं.09 खुराना चौक कि बास	

उपरोक्त व्यक्ति को 69-क एक्ट पट्टा के लिए कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 7 दिवस में इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उपयुक्त व्यक्ति का पट्टा जारी कर दिया जावेगा।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका किशनगढ़ बास
खैरथल-तिजारा (राज.)

कार्यालय नगर निगम, जयपुर हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पीछे, जयपुर)
क्रमांक :- एफ-31 अ.अ.सि.ला.जोन/हैरि ननिज/25-26/436 दिनांक :- 03/10/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 58 से 61/2025-26
नगर निगम जयपुर हैरिटेज के विभिन्न कार्यो हेतु पंजीकृत फर्म से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmcheritage.org व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in के UBN NO:- JMC2526WSOB01515 To JMC2526WSOB01518 पर देखी व ड़ाउनलोड़ की जा सकती है।
आयुक्त
राज.संवाद/सी/25/11385 नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, नरायना जिला, जयपुर (राज.)
टैलीफोन नं. 01425-294021 ई-मेल npnarayanajpr@gmail.com npnarayanajpr@rajasthan.gov.in
क्रमांक-/न.पा.न./2025-26/877 **आपत्ति आमत्रण सूचना** दिनांक-03.10.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित आवेदकों ने ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर कृषि भूमि नियमन पट्टा/69 ए आवासीय पट्टा/भवन निर्माण आज्ञा हेतु निवेदन किया है जिनमें नियमानुसार कार्यवाही की जानी है। अतः इन मकानों पर कृषि भूमि नियमन पट्टा/69 ए आवासीय पट्टा/भवन निर्माण आज्ञा जारी किये जाने नियमन किये जाने हेतु यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक पिता/पति का नाम मय पता	भूखण्ड के आस-पडोस उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	कुल क्षेत्रफल	प्रयोजन
1	श्री सर्वेश्वर दाधीच पुत्र श्री सुरज मल दाधीच निवासी सुभाष चौक,नरायना	भगवती प्रसाद का मकान	बुद्धिप्रकाश स्वामी का मकान	भंवर लाल प्रजापत का मकान	आम रास्ता	73.75 वर्गगज	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल, नरायना

स्वच्छ फुलेरा-स्वस्थ फुलेरा
प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, फुलेरा
क्रमांक/न.पा.फु./2025-26/1771 **लोक सूचना** दिनांक-03.10.2025
श्रीमती मंजुलता पत्नि श्री अशोक कुमार निवासी वार्ड नं. 12 न्यू हैप्पी कॉलोनी, फुलेरा जिला जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग (भू-रूपान्तरण) हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
जिला जयपुर जयपुर तहसील फुलेरा	फुलेरा	खसरा नम्बर 1148/935 रकबा 0.0632 हेक्टेयर, किस्म बारानी 2 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर।	0.0632 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.10.2025 को जारी की गयी।
(सूर्यकान्त शर्मा) अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका फुलेरा